न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
उपस्थितिः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– 1547/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्याः– 1547/2026
CNR No. UPHP010050762026

मु०अ०सं०– 459/2021
अर्न्तगत धारा– 498ए, 323 भा०दं०सं०
व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
थाना– धौलाना, जिला हापुड़।

शाहरुख पुत्र रहीमुद्दीन, निवासी ग्राम रसूलपुर सिकरोड़ा, डासना देहात, थाना मसूरी, जिला गाजियाबाद।

––बनाम––

सरकार।

दिनांकः– 16.07.2026

अभियुक्त शाहरुख पुत्र रहीमुद्दीन की ओर से उक्त केस में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 सीआर०पी०सी०/482 भा०ना०सु०सं० प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि "उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है एवं प्रार्थी को गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त अपराध में फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित घटना दिनांक 25.08.2021 की होना बतायी गयी है, जबकि रिपोर्ट दिनांक 23.10.2021 को लगभग 02 माह की देरी से दर्ज करायी गयी है। रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है, जिससे कथित घटना का होना सन्देह पैदा करता है। परिवादनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो आरोप अभियुक्त पर लगाये हैं, वह कतई गलत व झूठे हैं। प्रार्थी ने कभी भी परिवादनी के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की है और ना ही उसे कभी अतिरिक्त दहेज लाने के उपर मारपीट व प्रताड़ित किया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त मुकदमा वादिया का रिश्ते में पति रहा है तथा उस पर झूठे व बेबुनियाद आरोप मुकदमा वादनी ने लगाये है। मुकदमा वादिया के प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि अभियुक्त शाहरूख का वादिया से अफेयर था और परिवार वालों की सहमति से ही उनकी शादी कर रजिस्ट्रार गाजियाबाद के यहां शादी को रजिस्टर्ड कराया गया था। इस बात से स्पष्ट है कि इस शादी में किसी भी प्रकार का कोई दान दहेज नहीं लिया गया था और ना ही बाद में वादिया से कभी भी अतिरिक्त दहेज में बुलैट मोटर साईकिल व 05 लाख रूपये नकद की मांग नहीं की गयी है। शादी होने के बाद से ही वादनी मुकदमा मोहसिना अभियुक्त शाहरूख के साथ अलग रहने के लिए दबाव बनाने लगी और कुछ समय बाद प्रार्थी के साथ अलग रहने लगी, लेकिन फिर दोनों के विचार आपस में नहीं मिले और अभियुक्त के काफी प्रयासों के बाद भी हम दोनों का साथ रहना सम्भव नहीं हो सका। कथित मुकदमा दर्ज होने के बाद बिरादरी व समाज के व्यक्तियों के द्वारा वादिया मुकदमा व अभियुक्त का आपसी बाहमी फैसलानामा दिनांक 02.04.2024 को करा दिया गया, जिसमें वादिया मुकदमा ने प्रार्थी से तलाक लेकर अपने सम्बन्ध हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिये और अपना समस्त स्त्रीधन, मेहर व अन्य सभी सामान अभियुक्त से प्राप्त कर लिया तथा अब वह स्वतन्त्र रूप से किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर अलग रह रही है। वादी मुकदमा व अभियुक्त के बीच अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है। कथित घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी ने सम्बन्धित विवेचनाधिकारी को विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है तथा उन्हें सही–सही सभी बातें बतायी थी, किन्तु सम्बन्धित विवेचनाधिकारी के द्वारा बिना कोई ठोस व निष्पक्ष साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी को उक्त केस में संलिप्त होना बताया है, जो कि पूर्णतः गलत है।

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.07.24 14:57:55 IST
Reason:
Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त अपराध में परिवादनी ने जो आरोप अभियुक्त पर लगाये हैं, उन आरोपों को पुलिस ने बिना किसी साक्ष्य व सबूत के आधार पर धारा 498ए, 323 भा०दं० सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, जबकि प्रार्थी के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी को नहीं मिला है। उक्त प्रकरण में सम्बन्धित विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है तथा न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत होने के बाद अभियुक्त के उपस्थित ना होने के कारण भविष्य में वारन्ट जारी होने की सम्भावना है, जिसके आधार पर भविष्य में अभियुक्त के गिरफ्तार होने की आशंका बनी हुई है। जैसे ही अभियुक्त को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने की जानकारी हुई है तो वह तुरन्त उपस्थित होकर अपनी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी एक शान्तिप्रिय एवं कानून को मानने वाला व्यक्ति है। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त केस के अतिरिक्त अन्य कोई केस किसी भी थाने/न्यायालय में पंजीकृत नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार वालो के पास पक्का आवासीय मकान है, और उसका न्यायालय क्षेत्र छोड़कर भाग जाने एवं भारत से बाहर चले जाने एवं गवाहान को विपरीत रूप से प्रभावित करना तथा साक्ष्य को क्षति पहुँचाने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे परिवादनी द्वारा गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है, यद्यपि प्रार्थी ने प्र०सू०रि० में आरोपित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी के विरूद्ध लगाये गये समस्त आरोप असत्य, निराधार एवं मनघडन्त है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त अपराध 07 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दण्डनीय है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था "सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम केन्द्रीय राज्य ब्यूरो" में दिशा निर्देश व आदेश पारित किये हैं। उक्त अनुपालन में प्रार्थी जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने की दशा में वह माननीय न्यायालय के समक्ष यह अन्डरटैकिंग देने के लिए तैयार है कि "दौराने विचारण" जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा माननीय न्यायालय द्वारा नियत की गयी तिथियो अथवा विवेचक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर पूछताछ के लिए जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, उपस्थित होगा। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए विश्वसनीय जमानते दाखिल करने को तैयार है।"

इसके विपरीत विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि अभियुक्त पर अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि "प्रार्थनी फ्रैण्डस कालोनी पिपलैडा थाना धौलाना जिला हापुड़ की रहने वाली महिला है। प्रार्थनी तथा शाहरुख पुत्र रहमूदीन निवासी म०नं० 133 ग्राम रसूलपुर सिकरौडा थाना मसूरी जिला गाजियाबाद का आपस में रिश्तेदारी का सम्बन्ध था तथा इसी कारण शाहरुख का प्रार्थनी के घर आना जाना था। इसी के चलते प्रार्थनी व शाहरुख को आपस में प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करने की कसमें वादे करने लगे तथा दोनों ने अपनी सहमति से दिनांक 13.08.2020 को रजिस्ट्रार कार्यालय गाजियाबाद में रजिस्टर्ड शादी कर ली तथा इस शादी से कुछ हद तक प्रार्थनी के घर वाले खफा नहीं थे, इसीलिए प्रार्थनी के घर वालों ने अपनी पुत्री को नगद 2,51,000/– रुपए भी दिये थे। ये पैसे प्रार्थनी के घर वालों ने प्रार्थनी की शादी के लिए जोड़कर रखे हुए थे। शादी के बाद प्रार्थनी के पति प्रार्थनी को गाजियाबाद में किराये के मकान में लेकर रहा था तथा प्रार्थनी का पति प्रार्थनी की सहमति के बिना अप्राकृतिक सम्बंध बनाता था। कुछ दिन बाद शाहरुख के घर वालो पिता रहीमुददीन, माता नुन्निशा, बहन रिहाना ने कहा कि दोनों घर पर आ जाओ, हम अच्छी तरह से तुम्हारी शादी की खुशी मनायेंगे। प्रार्थनी का पति अपने घर वालों की बातों में आ गया और प्रार्थनी को लेकर प्रार्थनी का पति अपने घर ले आया तो एक–दो दिन तो सब

कुछ सामान्य रहा, परन्तु बाद में प्रार्थनी का ससुर, सास व ननद रिहाना प्रार्थनी को तानाकशी करने लगी कि गरीब घर की लड़की से शाहरुख ने शादी कर ली, कुछ दहेज भी नहीं लायी है। उपरोक्त लोगों ने प्रार्थनी के पति को अपने प्रभाव में ले लिया और प्रार्थनी से दहेज में बुलट मोटरसाइकिल व पांच लाख रुपए की मांग करने लगे और दिनाक 25.08.20 को दहेज की मांग को लेकर पति व अन्य ससुराल वालों ने मारपीट करके प्रार्थनी के घर छोड़ दिया। प्रार्थनी व प्रार्थनी के घर वालों ने प्रार्थनी के पति व ससुराल वालों से काफी विनती की कि हम गरीब लोग हैं, हम तुम्हारी नाजायज मांग को पूरी नहीं कर सकते तो प्रार्थनी का पति व उपरोक्त ससुराल वाले धमकी देने लगे कि या तो हमारी दहेज की मांग को पूरा कर दो, वरना हम अपने लड़के की शादी कहीं और जगह कर देंगे, जहां से अच्छा खासा दहेज मिल जायेगा। प्रार्थनी व प्रार्थनी के घर वालों ने प्रार्थनी के ससुराल के ससुराल वालों से काफी विनती करते आ रहे थे कि हम गरीब लोग हैं, हम पर रहम करो और हमारी बेटी को अपने यहां रख लो। बाद में ये लोग कहने लगे कि अभी महामारी फैल रही है, बाद में ले जायेंगे, का आश्वासन देने लगे। इसी बीच प्रार्थनी व प्रार्थनी के घर वालों को ज्ञात हुआ कि शाहरूख ने लोनी, गाजियाबाद में दूसरी लड़की से शादी कर ली है तथा माह अगस्त में शाहरूख प्रार्थनी के घर पर आया और कहने लगा कि तुमने हमारी दहेज की मांग पूरी नहीं कि इसलिए मेरे घर वालों ने मेरी शादी दूसरी जगह कर दी, इसलिए मैं अपने घरवालो की सहमति से तुम्हे तलाक– तलाक– तलाक कहकर तीन तलाक दे दिया। ये लोग काफी दंबग व्यक्ति हैं। भय की वजह से प्रार्थनी कुछ नहीं कर सकी, परन्तु हिम्मत करके प्रार्थनी ने थाना धौलाना में शिकायत की, परन्तु थाने वालों ने तहरीर लेकर रख ली, कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए श्रीमान जी प्रार्थना पत्र दे रही हूं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थनी के पति शाहरुख, सास नुनिन्शा, ननद रिहाना, ससुर रहीमुददीन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने का कृपा करें।"

मेरे द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की तर्कपूर्ण बहस को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उ०प्र०संशोधन) अधिनियम 2018 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 4 सन 2019) धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत इस न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करे–

(1) अभियोग की प्रकृति और गम्भीरता,
(2) आवेदक का पूर्ववत जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या व किसी संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।
(3) न्याय से भागने की सम्भाव्यता और,
(4) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो,
या आवेदन तत्काल अस्वीकृत कर सकता है, या अग्रिम जमानत मन्जूर करने के लिये अन्तरिम आदेश जारी कर सकता है।

गुरुवख्श सिंह सिविया बनाम स्टेट आफ पंजाब 1978 Cr. L. J. 20 (F. B) में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– "See 438 of the code is in the nature of a shield for protecting entirely innocent person from malicious humiliation– care has to be taken that this provision does not become sword in the hands of the unscrupulous person to gain time for destroying the incriminiating evidence against tham and to mock at the logitmate investigation process authotised by law."

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त शाहरुख पर वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ित करने, तथा उसके साथ मारपीट करने का आरोप है। प्रस्तुत प्रकरण सात वर्ष से अनधिक कारावास के दण्ड से दण्डनीय अपराध से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा विधि व्यवस्था **Special Leave Petition (Crl.) No. 5191 of 2021 Satender Kumar Antil vs. Central Bureau of Investigation & Another** का भी अवलोकन किया गया। अभियुक्त वर्तमान में भी संबंधित थाना से 41(क) दं०प्र०सं० के नोटिस पर हैं। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को देखते हुए, गुणदोष पर कोई मत व्यक्त न करते हुए तथा अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है तद्नुसार अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अस्तु आवेदक/अभियुक्त शाहरुख पुत्र रहीमुद्दीन का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

यदि आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाते हैं या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो अभियुक्त शाहरुख पुत्र रहीमुद्दीन प्रत्येक द्वारा मुबलिग 30,000/– रुपए का निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि का एक जमानती सम्बन्धित पुलिस अधिकारी/न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर अग्रिम अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन छोड़ा जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। यदि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आता है तो विचारण न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही अग्रसारित करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी व वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।
3. न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त इस तरह का अपराध नहीं करेगा। इस तरह के अपराध में लिप्त होने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।
5. आवेदक/अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों को तोड़ने या डराने धमकाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त किसी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

आदेश की प्रति सम्बन्धित थाना/न्यायालय को भेजी जाये।

दिनांकः– 16.07.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।